



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042022-235328
CG-DL-E-23042022-235328

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2022/वैशाख 2, 1944

No. 221]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2022/VAISAKHA 2, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्
प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2022

फा.सं. 18-24/आईएनसपी/2022-आईएनसी.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

चूंकि, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सरकारी आदेश (जी.ओ.एम.) संख्या 30517/एच दिनांक 01.12.2017 जारी कर प्रतिवा देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्लॉट संख्या 289/1664, नीलादरी विहार, भुवनेश्वर, खोरदा-751016, ओडिशा में संचालित होने वाले बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। कॉलेज में बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश क्षमता 35 छात्रों के लिए थी।

और चूंकि, ओडिशा उपचर्या एवं दार्ज पंजीकरण परिषद् द्वारा प्रतिवा देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 से बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम का संचालन करने के लिए मान्यता प्रदान की गई थी।

और चूंकि, प्रतिवा देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। आगे, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा कुछ कमियां इंगित की गई थीं। तथा प्रतिवा देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग उक्त कमियों को दूर करने में विफल रहा है और इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया भेजने में भी असफल रहा है।

और चूंकि, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा दिनांक 01.09.2021 को प्रतिवा देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे इस बावत जवाब देना था कि भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

और चूंकि, ओडिशा राज्य सरकार और ओडिशा उपचर्या एवं दार्ज पंजीकरण परिषद् से भी इस बावत टिप्पणियां मांगी गई थीं। ओडिशा उपचर्या एवं दार्ज पंजीकरण परिषद् द्वारा दिनांक 18.09.2021 को प्रतिवा देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को

पूर्वोक्त कमियों का जवाब देने के लिए एक पत्र जारी किया गया था। प्रतिवा देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिनांक 18.09.2021 के उपरोक्त पत्र का जवाब देने में भी विफल रहा है।

इसलिए, प्रतिवा देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम का संचालन करने की मान्यता अधिनियम की धारा 14(3)—बी के तहत शैक्षणिक सत्र 2018–2019 से वापस ली जाती है।

यह घोषित किया जाता है कि दिनांक 04.04.2022 से, प्रतिवा देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से कोई भी उपरोक्त मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ओडिशा राज्य सरकार के आदेश के अधीन केवल ओडिशा राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ. सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./41/2022-23]

**INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER**

New Delhi, the 22nd April, 2022

F.No. 18-24/INSP/2022-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Government of Odisha vide Government Order (G.O.M) no. 30517/H dated 01/12/2017 had granted essentiality certificate for the B.Sc.(N) courses to be conducted in **Prativa Devi College of Nursing, Plot No. 289/1664, Niladri Vihar, Bhubaneswar, District- Khorda- 751016, Odisha**. The College has an intake capacity of 35 students for **B.Sc(N)** course.

And whereas, Odisha Nurses Registration Council had granted recognition to **Prativa Devi College of Nursing** for running **B.Sc(N)** course from the academic year 2018- 2019.

And whereas, a proposal was received from the **Prativa Devi College of Nursing** for assessment of suitability for the academic year 2018-19. That, certain deficiencies were pointed out by the Indian Nursing Council. The **Prativa Devi College of Nursing** failed to rectify the said deficiencies and also failed to send any response in that regard.

And whereas, a show cause notice dated 01.09.2021 was issued by the **Indian Nursing Council** requiring the **Prativa Devi College of Nursing** to respond as to why no action should be initiated under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947.

And whereas, comments were also sought from the state Government of Odisha and the Odisha Nurses and Midwives Registration Council. The Odisha Nurses and Midwives registration Council issued letter dated 18.09.2021 requiring the **Prativa Devi College of Nursing** to respond to the deficiencies pointed out earlier. The **Prativa Devi College of Nursing** has failed to reply to the letter dated 18.09.2021.

Hence, therefore, the recognition of **Prativa Devi College of Nursing** for conducting **B.Sc. (N)** is hereby withdrawn from the academic session 2018-2019 in terms of Section 14 (3)-b of the Act.

It is declared that from 04.04.2022, any person obtaining any recognized qualification from **Prativa Devi College of Nursing** shall be entitled to be registered only in the state of Odisha subject to orders of the State Government of the Odisha.

Lt. Col Dr. SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT-III/4/Extry./41/2022-23]